संख्याः 1358/9-9-12- 89ज/2001

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0
लखनऊ।

2. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/अलीगढ़।

3. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2012

विषय— नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यकम (एस0टी0पी0) का संचालन एवं रखरखाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत तीन घटक यथा गंगा घटक, यमुना घटक एवं गोमती घटक के अन्तर्गत 16 नगरों में सृजित परिसम्पत्तियों में से वर्तमान में कुल 09 नगरों यथा फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आगरा, इटावा, लखनऊ एवं सुल्तानपुर में सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जाता है।

2. शासन द्वारा प्रदेशान्तर्गत नगरीय निकायों को तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त की जाती है । उक्त अवमुक्त की गई धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2011 में प्राविधान किया गया है कि यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती अथवा वसूली की धनराशि अवशेष हो तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली धनराशि में से समायोजन/कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि आवंटित की जाये। उक्त निर्देशों के अनुपालन में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर निकायों को संकमित धनराशि में से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यकम (एस0टी0पी0) के संचालन हेतु उ0प्र0 जल निगम की मांग के अनुसार धनराशि रोकी जाती है, जिसे शासन के निर्देशानुसार निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जाती है।

3. प्रदेश के 09 नगरों में संचालित नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यकम (एस0टी0पी0) हेतु शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है अतएव यह आवश्यक है कि उसके अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं

कराये जाने वाले कार्यों की वास्तविक स्थिति शासन के संज्ञान में हो। वर्णित स्थिति में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (एस0टी0पी0) के कार्यों का सम्बन्धित जनपद के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाये और नगर आयुक्त द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें कराये गये कार्यों की प्रगति एवं अग्रतर कराये जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि का स्पष्ट उल्लेख हो, शासन को प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित जनपद के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम का स्वरूप निम्नवत होगा:

(1)	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम	सदस्य
(3)	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा, सम्बन्धित जनपद का, नामित अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
(4)	सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित जनपद से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी	सचिव
(5)	निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 द्वारा नामित, जनपद से सम्बन्धित, परियोजना प्रबन्धक	सदस्य सचिव

4. उपर्युक्तानुसार गठित टीम द्वारा जिन नगरों के नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (एस0टी0पी0) के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, उसका विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है। गठित टीम के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तीन माह में शासन को उक्तानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

5. उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी,आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/इटावा/फर्रूखाबाद/ मिर्जापुर/सुल्तानपुर/अलीगढ़।
2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/अलीगढ़।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, इटावा/फर्रूखाबाद/मिर्जापुर/सुल्तानपुर।
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21/7/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या– 9–9–2012/89ज/2001 का संलग्नक

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (एस0टी0पी0) के संचालन एवं रखरखाव की नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण का कार्यक्रम

कम सं0	टीम का अध्यक्ष	जनपद का नाम जहाँ के नदी प्रदूषण कार्यक्रम (एसटीपी) का निरीक्षण किया जायेगा।
1	नगर आयुक्त, अलीगढ़	1.इटावा 2. आगरा
2	नगर आयुक्त, कानपुर	1.लखनऊ 2. फर्रुखाबाद
3	नगर आयुक्त, वाराणसी	1. मिर्जापुर 2. इलाहाबाद
4	नगर आयुक्त, इलाहाबाद	1.वाराणसी
5	नगर आयुक्त, लखनऊ	1. कानपुर 2. सुल्तानपुर